18.02.19

[illegible] अनुपस्थित।
[illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] में [illegible] किया गया है।
[illegible] 20.02.19 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट

20.02.19

[illegible]
[illegible] 25.02.19 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट मोजत

25-02-19 काफिवकता पुजारी उपस्थित। [illegible] की [illegible] चौधरी
[illegible] सं० 1 में उक्त [illegible] काफिवकता [illegible]
काफिवकता ने U/T लिया है। काफिवकता [illegible]
सं० 1 में 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, साक्षी सं० 1
[illegible] सं० 4 से [illegible] तामिल की। सुनवाई बाद
[illegible] 16 बजे पर [illegible] उपस्थित रहने से [illegible]
विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस प्रार्थनापत्र [illegible]
[illegible] धारा 229 राजस्थान काश्तकारी [illegible] काफिजपक्ष, 1955
[illegible] 1955 मुजरी [illegible] स्थापित की गई।

काफिवकता पुजारी के प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 229
RTA Act 1955 के [illegible] मोजत [illegible] का पेश
किया कि [illegible] ने पुजारी को [illegible] 1955 का पेश किया
[illegible] धारा 88, 53 व 188 RTA Act 1955 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की
[illegible] वाद [illegible] प्रति सं० 1 की [illegible] की कृषि भूमि [illegible] सं०
कृषि भूमि [illegible] चक II की कृषि भूमि [illegible] 4 [illegible] 6.7900 हे०
2264, 2265, 2266 व 2268 कुल [illegible] खातेदारी कृषि भूमि [illegible]
[illegible] प्रति सं० 1 [illegible] खा० सं० 2264, 2265,
2267 रकबा 2.3300 हे० [illegible] सं० 1 में [illegible] 17/100, 4 में 6 का 66/100 व
2266 व 2268 में वाद सं० 1 में [illegible] 17/100 बिघा [illegible] खा० सं० 2267 प्रति सं० 1 [illegible]
प्रति सं० 1 का 17/100 बिघा [illegible] 561 में [illegible] सं० 561
खा० सं० 560, 568 व 561 में [illegible], पुराने रिकार्ड में [illegible]
का रकबा 7.05 बीघा [illegible] खातेदारी [illegible] प्रति सं० 1 [illegible]
[illegible] जाने [illegible] के नाम खातेदारी [illegible] जिसमें [illegible]
किया का जिसका नाम सं० 410 में [illegible] वाद [illegible] के खा० सं० 560, 568 [illegible]
[illegible] सं० 2267 बना, उसमें [illegible] वाद सं० 2267 का रकबा 2.3300 हे०
का [illegible] 2267 में जोड़ कर खा० सं० 1 का नाम [illegible] का किया
कर [illegible] व [illegible] प्रति सं० 1 का नाम [illegible] का [illegible]
जिसका [illegible] काफिवादी [illegible] खा० सं० 561
खा० सं० 2267 में प्रति सं० 1 का 1.1600 हे० [illegible] खा० सं० 561
का [illegible] रकबा [illegible] 2.3300 हे० [illegible] किया
खा० सं० 2267 में जोड़ कर रकबा प्रति सं० 1 व [illegible] 1.1700 हे०
[illegible] जिसमें से 1.1600 हे० प्रति सं० 1 [illegible] खा० सं०
वाद [illegible] व प्रति सं० 1 का पूर्ववर्ती [illegible] 2267 रकबा 0.3630 हे० [illegible] परिवार [illegible]
[illegible] का किस्सा नाम [illegible] कर दिये जिसमें खातेदारी
[illegible] की प्रतिवादी [illegible] प्रति सं० 1 [illegible] खातेदारी
[illegible] की प्रति सं० 1 के हिस्से में [illegible] है, जिसमें खा० सं० 2267
में प्रति सं० 1 की शेष भूमि रकबा 0.7960 हे० काश्त
भूमि शेष बची है। [illegible] मोजत - मोजत चक II की खा० सं०
2264, 2265, 2266 व 2268 रकबा 6.7900 हे० [illegible]

लगातार—

उप खण्ड अधिकारी
मोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादिगण सं० 1 म 3 का 7/100, 4 म 6 का 66/100 कुल 1 का 7/100 हिस्सा दर्ज है तथा ख०नं० 2267 रकबा 1.7100 है०-से० का वादिगण व प्रति०सं० 1 का जाल उपरोक्त हिस्सा अनुसार खतौनी दोषपूर्ण करने तथा उक्त समूचा कार्य गलत कर्मचारियों व वादिगण के मिलीभगत व सांठगांठ करके किया गया माननीय न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में पश्चात दि० 21-05-2014 को ख०नं० 2267 रकबा 1.96 है०-से० में से 0.6970 है०-से० का प्रति०सं० 1 का, शेष रकबा 1.7100 है०-से० का वादिगण सं० 1 म 3 का 7/100 हिस्सा, वादिगण सं० 4 म 6 का 66/100 हिस्सा तथा प्रति० सं० 1 का 7/100 हिस्सा अनुसार खतौनी कार्यवाही दोषपूर्ण किया गया। ख०नं० 2264, 2265, 2266, 2268 कुल क्षेत्र 4 रकबा 6.7900 है०-से० एवं ख०नं० 2267 रकबा 1.7100 है०-से० का बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, सोजत को अधिकृत किया गया है। इसी आधार की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी। किन्तु बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया, तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 28-08-2014 लिपिकीय त्रुटि वश आदेश में गलत रकबा हजारों से फुजावलबजात प्रार्थना पत्र भरा होना-पत्र एवं फुजावलबजात पक्षों किया है। प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई, में कोई त्रुटि नहीं हुई। तत पश्चात प्रारम्भिक डिक्री के पश्चात मौके पर तैयार बंटवारा प्रस्ताव में ख०नं० 2267 का तैयार किया गया, में 2267 रकबा 0.7970 है०-से०, 2267/1 रकबा 0.2100 है०-से० तथा 2267/2 रकबा 0.9600 है०-से० एवं 2267/3 रकबा 0.2100 है०-से० अनुसार बंटवारा किया गया। किन्तु प्रस्ताव बंटवारा लिखते समय बंटवारा किया गया। प्रति०सं० 4 म 6 का जाल दर्ज कर किया गया। ख०नं० 2267/2 प्रति०सं० 4 म 6 का 2267/2 रकबा जबकि उनके हिस्से में 2267/2 न 11 का 2267/1 रकबा 0.9600 है०-से० है तथा 2267/4 का स्थान पर 2267/3 से अंकित किया गया है, जो गलत है। प्रति०सं० 1 का जाल ख०नं० 2267 रकबा 0.2100 है०-से० दर्ज कर किया, जबकि ख०नं० 2267/3 रकबा 0.2100 है०-से० दर्ज करना था, म 1 का जाल प्रार्थना-पत्र एवं फुजावलबजात पक्षों कर फुजावलबजात प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने, उक्त वाद का पुनः सुनवाई में लिये जाने तथा बंटवारा में पूर्व उक्त त्रुटिवश ख०नं० 2267/2 का स्थान पर ख०नं० 2267/3 ख०नं० 2267/1 एवं ख०नं० 2267 का स्थान पर ख०नं० 2267/2 दर्ज किये जाने तथा ख०नं० 2267 रकबा 0.7970 है०-से० एवं रकबा 0.2100 है०-से० सम्मिलित दर्ज करते हुए ख०नं० 2267 रकबा 01.0170 है०-से० दर्ज कर किया गया है, जिसे पुनः शामिल किया जाकर ख०नं० 2267 रकबा 0.7970 है०-से० दर्ज किये जाने व ख०नं० 2267/1 रकबा 0.2100 है०-से० एवं 2268 का बंटवारा तथा ख०नं० 2264, 2265, 2266 एवं 2268 का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार संशोधित निर्णय व अन्तिम डिक्री किये जाने की इत्तला की है। प्रति०सं० 1 फुफ्फा सं० 4 म 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। फुफ्फा द्वारा सं० 1 म 3 अर्थात कार्यवक्ता ने छ० पुत्र पत्र पेश कर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही व वास्तविक होना स्वीकार करते हुए पुनः बंटवारा प्रस्ताव संशोधन कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने में स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की। वास्ते प्रार्थना पत्र मंजूर व मुन्दरिज मसाफत की गई।

पत्रावली कार्यालयपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 R.T. Act 1955 वाले

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पुनर्विलोकन निर्णय व डिक्री दि० 28-08-2014, इ०जे० प्रा०पत्र दि० 25-02-2019 तथा लेखविभाग का गणनापत्रक प्रस्तुत किया गया। वादी प्रा०पत्र वकालतनामा पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः आवेदकगण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत इ०जे०प्रा०पत्र के अंकित तथ्यों से सामंजस्य से पुनर्विलोकन प्रा०पत्र स्वीकार किया जाना तथा राजस्व मूल वाद सं० 35/2014 हमी बनाम रतनलाल वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 RT Act 1955 के पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28-08-2014 का पुनरावलोकन हेतु पुनः जाने तथा नियमानुसार वाद उभय पक्षों को सूचित करने उपरांत निर्णय व डिक्री पारित हेतु पुनः दर्ज रजिस्टर कर निर्णय व डिक्री पारित किया जाना उचित समझता हूँ। — आदेश — अतः आवेदकगण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान लगानदारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किये जाने से स्वीकार योग्य है, लिहाजा स्वीकार किया जाता है। मूल वाद सं० 35/2014 हमी बनाम रतनलाल वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 RT Act पारित निर्णय दिनांक 28-08-2014 को पुनरावलोकन किया जाता है। पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया हेतु पुनः निर्णय एवं डिक्री पुनर्विलोकन हेतु सहेजी जावे। उक्त निर्णय एवं डिक्री पुनर्विलोकन उभय पक्षों को सूचना। आगामी कार्यवाही किए जाने हेतु मूल वाद पत्रावली आगामी तारीख पेशी सुनवाई हेतु मूल वाद पत्रावली हेतु सूचित किया जाकर पेशी होकर निर्धारित सुनवाई हेतु नम्बर पर रखा जावे। पत्रावली मिसल अनुसार एवं नम्बर पर रखा जावे। तत्पश्चात मूल वाद पत्रावली कार्यालय की जावे। (अनूप कुमार) उप खण्ड अधिकारी, सोजत (जिला-पाली) निर्णय आज दिनांक 25-02-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। (अनूप कुमार) उप खण्ड अधिकारी, सोजत (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner